भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 739
23 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत प्रगति

+739. श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्री आशीष दुबेः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
कैप्टन बृजेश चौटाः
श्री प्रवीण पटेलः
श्री बलभद्र माझी:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:
श्रीमती स्मिता उदय वाघः
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री राजकुमार चाहरः
श्री नव चरण माझी:
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री अनूप संजय धोत्रेः
श्री राहुल सिंह लोधीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन सुविधाओं के निर्माण में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के दमोह संसदीय क्षेत्र, राजस्थान के जालोर और सिरोही जिलों, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले, ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय क्षेत्र सहित देश में उक्त योजना के माध्यम से स्वीकृत, पूर्ण की गई परियोजनाओं और सृजित रोजगार की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता, निर्यात और इस क्षेत्र के विकास पर उक्त योजना का समग्र प्रभाव क्या रहा है;

(ङ) क्या अकोला जिले में उक्त योजना के तहत कोई परियोजनाएं स्वीकृत या कार्यान्वित की गई हैं और यदि हां, तो स्वीकृत और जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि, सृजित रोजगार, कवर किए गए लाभार्थी,

परियोजनाओं की संख्या, कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति और जिले में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण और कृषि-मूल्यवर्धन अवसंरचना स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना को लागू कर रहा है, और सरकार समय-समय पर इसकी प्रगति की समीक्षा करती है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना और मूल्यवर्धन सुविधाओं का निर्माण करना, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करना, फसलोत्तर नुकसान को कम करना, कृषि उपज के प्रसंस्करण और परिरक्षण को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना और किसानों को बेहतर आय प्रदान करना है| दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, इसकी विभिन्न घटक योजनाओं के अंतर्गत 1,735 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 1,256 पूर्ण हो चुकी हैं, जिससे देश भर में 9.16 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का दमोह संसदीय क्षेत्र, राजस्थान के जालोर और सिरोही जिले, कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ जिला, ओडिशा का नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र और महाराष्ट्र का जलगांव संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। राजस्थान के जालोर जिले, कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले और ओडिशा के नबरंगपुर संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में है, जबकि दमोह जिले और सिरोही जिले में आज की तारीख तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना — शीत भंडारण और प्रशीतित वाहनों सहित—के निर्माण के लिए अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जो विशेष रूप से फसलोत्तर नुकसान को कम करने और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए लक्षित हैं। इस तरह की अवसंरचना के निर्माण से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति और किसानों की आय में सुधार होता है। दिनांक 30.06.2026 तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 1,256 परियोजनाएं चालू हैं, जिससे लगभग 37.76 लाख किसानों को लाभ हो रहा है।

पीएमकेएसवाई एक मांग-आधारित योजना है, और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित सभी पात्र आवेदकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें एफपीओ श्रेणी के आवेदकों को बढ़ावा देने के लिए विशेष लाभ दिए जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है:

i. पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से सब्सिडी के रूप में सहायता अनुदान, जबकि सामान्य/कठिन क्षेत्रों में यह 35% है, और खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई) योजना के मामले में, सब्सिडी/सहायता अनुदान 70% है, जबकि सामान्य क्षेत्रों में यह 50% है;

ii. कम इक्विटी योगदान - अन्य लोगों के लिए 20% के मुकाबले 10% की आवश्यकता;

iii. कम न्यूनतम क्रेडिट / ऋण आवश्यकता - अन्य लोगों के लिए 20% के मुकाबले 10% आवश्यक; और

iv. कम नेट-वर्थ की आवश्यकता, यानी मांगी गई सहायता अनुदान के बराबर, जबकि सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए यह 1.5 गुना है।

(घ) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत, जून 2026 तक 294.21 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की कुल प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजित की गई है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास और निर्यात में वृद्धि हुई है।

(ङ) और (च): अब तक, पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अकोला जिले में किसी भी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है। एमओएफपीआई स्वयं खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित नहीं करता है, बल्कि देश भर में इस तरह की अवसंरचना की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। चूँकि पीएमकेएसवाई एक मांग-आधारित योजना है, इसलिए जलगाँव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे देश से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी किसी भी घटक योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटित, स्वीकृत या जारी नहीं की जाती हैं। इसमे प्राप्त सभी प्रस्तावों की पात्रता की जांच की जाती है और दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया जाता है, जिसके बाद निधियों की उपलब्धता के अधीन, पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

अनुबंध

दिनांक 23.07.2026 को उत्तर हेतू "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत प्रगति" के संबंध में उत्तर हेतू लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 739 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, राजस्थान के जालोर और ओडिशा के नबरंगपुर जिलों में दिनांक 30.06.2026 तक पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण								
क्र. सं.	**योजनाएँ**	**परियोजना का नाम**	**अनुमोदन का दिनांक**	**परियोजना लागत**	**स्वीकृत अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**जारी अनुदान सहायता (करोड़ रुपये में)**	**स्थिति**	**रोज़गार**
दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक								
1	एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत शृंखला)	आइडियल आइसक्रीम	05-11-2018	36.54	9.86	9.86	प्रचालित	600
2	एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत शृंखला)	यशस्वी फिश मील एंड ऑइल कंपनी	12-11-2018	73.05	10.00	10.00	प्रचालित	600
3	एकीकृत शीत शृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना (शीत शृंखला)	प्रोविट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	29-02-2024	55.40	9.91	0.00	कार्यान्वयन के अधीन	600
4	खाद्य प्रसंस्करण और परिक्षण क्षमता के सृजन / विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी)	मेसर्स द सेंट्रल एरेकोट एंड कोको मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग	13-03-2026	12.0454	4.22	0.00	कार्यान्वयन के अधीन	313

		को-ऑपरेटिव लिमिटेड						

5	अनुसंधान एवं विकास	प्रोडक्शन ऑफ़ एन-3 पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड कॉन्संट्रेट फ्रॉम सार्डिन ऑयल (एनआईटी, मैंग्लोर)	2012-13	0.4679	0.47	0.40	पूर्ण	शून्य
6	अनुसंधान एवं विकास	रिवर्स माइसेलर एक्सट्रेक्टएक्शन ऑफ़ लैक्टोफेरिन फ्रॉम व्हेय : कंटीन्यूअस प्रोसेस (एनआईटी, मैंग्लोर)	2013-14	0.376	0.38	0.32	पूर्ण	शून्य
जालोर जिला, राजस्थान								
7	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के लिए अवसंरचना (एपीसी)	मेसर्स गरुड़ अर्बन रेमेडीज लिमिटेड	10.11.2022	38.65	10.00	3.33	कार्यान्वयन के अधीन	1275
नबरंगपुर जिला, ओडिशा								
8	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर योजना के लिए अवसंरचना (एपीसी)	मेसर्स विजय नगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	10.11.2022	50.524	10.00	9.77	पूर्ण	1667
9	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन / विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी)	मेसर्स विजयनगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1) (681)	29-02-2024	8.03	3.88	3.88	पूर्ण	512

10	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन / विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी)	मेसर्स विजयनगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 3) (690)	29-02-2024	7.11	3.52	3.46	पूर्ण	520
11	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन / विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी)	मेसर्स विजयनगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 4) (683)	29-02-2024	4.25	2.10	2.10	पूर्ण	520
12	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन / विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी)	मेसर्स विजयनगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट - 5) (684)	29-02-2024	4.23	2.08	2.05	पूर्ण	520
13	खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता के सृजन / विस्तार की योजना (सीईएफपीपीसी)	मेसर्स विजयनगर बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 2) (682)	29-02-2024	4.15	2.04	2.04	पूर्ण	510